



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)



IAHE/F&A/04/GST Compliance /2022-23

दिनांक 02-05-2022

सूचना आमंत्रण कोटेशन (एनआईक्यू)

सेवा में,

इंटरनेट/स्थानीय पूछताछ
और आईएचई के वेबसाइट के माध्यम से
पहचान की गई सूची के अनुसार

विषय: भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई), ए-5, सेक्टर-62, नोएडा के जीएसटी अनुपालन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों की नियुक्ति।

महोदय,

आपका कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निदेशक, आईएचई को दिनांक 23.05.2022 अपराह्न 15.00 बजे तक **अनुलग्नक-1** में दिए गए प्रारूप में एजेंसी के लेटर हेड (फर्म के मामले में) तथा उपरोक्त कार्य के लिए बताए गए निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। कोटेशन में, इस एनआईक्यू की पत्र संख्या और तारीख का उल्लेख करना है।

नियम और शर्तें

1. कोटेशन जमा करने वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), पैन कार्ड, जीएसटी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। एजेंसियों/फर्मों को दो कवर में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। पहले लिफाफे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), पैन कार्ड/ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट एक अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी नोएडा के पक्ष में देय होगा। दूसरे लिफाफे में **अनुलग्नक-1** में दिए गए अनुसार वित्तीय उद्धरण/कोटेशन शामिल होगा। पहला लिफाफा सबसे पहले खोला जाएगा और जिन एजेंसियों/फर्मों ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जमा की है, साथ ही सिक्युरिटी डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी नोएडा के पक्ष में जमा की है वह दूसरे लिफाफा यानी वित्तीय उद्धरण वाले लिफाफा को खोलने के लिए पात्र होंगे। यह कार्य सबसे कम वित्तीय उद्धरण (कुल मूल्य) जमा प्रस्तुत करने वाली फर्म को दिया जाएगा। आईएचई के एनआईक्यू संख्या **IAHE/F&A/04/GST Compliance /2022-23 दिनांक 02.05.2022** के जवाब में दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में डाल कर एटम भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अनुपालन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों की नियुक्ति के लिए कोटेशन लिखकर जमा किया जाना है।

2. संभावित बोलीदाताओं को कोटेशन जमा करने से पहले सामग्री आदि की आपूर्ति के लिए स्थान को उचित रूप से समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शुभ

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक का पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष / Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: director-iahe@gov.in / Website/ वेबसाइट: iahe.org.in

-2-

3. चयनित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को शुरु में उक्त कार्य के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन पर और आईएचई के विवेकाधिकार पर, इसे समान दरों, नियमों और शर्तों पर साल दर साल दो और वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आईएचई के जीएसटी अनुपालन के लिए निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है लेकिन कार्यों/कार्यों तक सीमित नहीं है।

क. महीने के दौरान किए गए जावक चालानों के आधार पर मासिक जीएसटी देयता की गणना और मासिक आधार पर जीएसटीआर-1 को समय पर भरने।

ख. आईएचई द्वारा आवक चालान पर की गई कटौती पर जीएसटी पर मासिक टीडीएस की गणना और मासिक आधार पर जीएसटीआर-7 को समय पर भरने।

ग. मासिक आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता के लिए आवक चालान की जांच और जीएसटीआर-2ए/2बी के साथ तुलना।

घ. इनपुट और टीडीएस के साथ आउटपुट के समायोजन के बाद भुगतान की जाने वाली शुद्ध देयता को अंतिम रूप देना और मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल भरने।

ङ. समय-समय पर रिटर्न के साथ लेखा परीक्षित पुस्तकों का मिलान और वार्षिक रिटर्न को अंतिम रूप देना और वार्षिक समाधान विवरण यानी जीएसटीआर-9 और 9सी दाखिल करना।

च. समय-समय पर रिटर्न के साथ लेखा परीक्षित पुस्तकों का मिलान और वार्षिक रिटर्न को अंतिम रूप देना और वार्षिक समाधान विवरण यानी जीएसटीआर-9 और 9सी दाखिल करना

ज. नवीनतम अधिसूचना/परिपत्रों के संबंध में समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना।

झ. जीएसटी अनुपालन से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

5. उद्धृत दरों में आईएचई, ए-5, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश के उक्त कार्य के लिए सीए फर्म के सभी व्यय आदि शामिल होने चाहिए।

6. उक्त कार्य समय पर निष्पादित/किया जाएगा।

रुनील

-3-

7. न्यूनतम बोली लगाने वाले (अर्थात् चयनित सीए फर्म) को छोड़कर बोलीदाताओं की जमानत राशि मूल रूप में (उनके डीडी/बैंकर चेक) बोलीदाताओं को वित्तीय कोट खोलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल फर्म (सबसे कम बोली लगाने वाले) की जमानत राशि उक्त कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर जारी कर दी जायेगी।
8. सभी मदों के लिए दरें (एनआईक्यू के अनुबंध-1 में उल्लिखित) एजेंसी/फर्म द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। यदि कोई एजेंसी/फर्म किसी भी मद को उद्धृत करने में विफल रहता है, तो उसके कोटेशन को अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कुल मूल्य के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध-1 में उल्लिखित मात्रा के अनुसार इकाइयों की दरों को उद्धृत किया जाना चाहिए।
9. एजेंसी को सौंपे गए उक्त कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान चेक या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का विवरण (खाता धारक का नाम, खाते की प्रकृति, खाता संख्या, बैंक का नाम / शाखा) कोटेशन में निर्दिष्ट किया जाएगा।
10. यदि सफल बोलीदाता और आईएएचई के बीच या इस अनुबंध की किसी भी अवधि की व्याख्या के कारण या अन्यथा इस अनुबंध के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे आपसी सहमति से तय किया जा सकता है अन्यथा निदेशक, आईएएचई का निर्णय सफल बोलीदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
11. आईएएचई बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्राप्त होने के बाद भी एनआईक्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. आईएएचई के एनआईक्यू संख्या IAHE/F&A/04/GST Compliance /2022-23 दिनांक 02.05.2022 के प्रेत्युत्तर में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएएचई) के जीएसटी अनुपालन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की नियुक्ति के लिए उद्धरण का उल्लेख करते हुए सीलबंद लिफाफे में आईएएचई को दिनांक 23.05.2022 को 15.00 बजे कोटेशन प्रस्तुत किया जाएगा।
13. हिन्दी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्त अथवा कार्य तथा अंग्रेजी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्त अथवा कार्य में कोई अन्तर लगता है तो अंग्रेजी के एनआईक्यू को माना जाएगा।
14. यह निदेशक, आईएएचई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक एनएफएसजी-1
कृते निदेशक



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)



Annexure -1

Format should be on the letter head of the agency submitting the quotation

To,

The Director
Indian Academy of Highway Engineers (IAHE)
A-5, Sector-62, Noida-201301, U.P.

Sir,

Please find our quotation with respect to your NIQ bearing No. IAHE/F&A/04/GST Compliance/2022-23 dated 02.05.2022.

S. No.	Description	Qty	Unit	Rate to be quoted in Rs.	Amount in Rs.
1	Professional fee for monthly compliance	12	Months		
2	Professional fee for annual compliance	01	Year		
				Total	
				Add GST @ 18% (as per Prevailing rates)	
				Grand Total	

I accept all the terms and conditions stated in NIQ issued bearing No. IAHE/F&A/04/GST Compliance/2022-23 dated 02.05.2022.

Signature of Authorized Signatory
Name of the firm with Stamp and Date

Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) – 201 301 (India)
Tel 0120-2400085-86, 2405006-9, Fax 2400087